

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित : 16 नवंबर, 2023

निर्णय तिथि: 16 जनवरी, 2024

नि.द्वि.अ. 173/2017

शिव प्रकाश

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री एल. के. सिंह, अधिवक्ता, बीसी द्वारा

बनाम

मूल चंद व अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आर.के. शुक्ला, प्रत्यर्थी-1 के
अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा:

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.सं.') की धारा 100 के तहत दायर यह नियमित द्वितीय अपील अति.जि.न्या.-02, शाहदरा जिला, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली ('प्रथम अपीलीय न्यायालय') द्वारा कि.नि.अ. सं. 98/2016 अर्थात् 'शिव प्रकाश बनाम मूलचंद व अन्य' में पारित दिनांक 23.03.2017 के उस निर्णय को आक्षेपित करती है, जिसके तहत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सिविल वाद सं. 754/2006 में एससीजे-सह-आरसी, उत्तर पूर्व जिला, कड़कड़ूमा

न्यायालय, दिल्ली ('विचारण न्यायालय') द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2011 के खिलाफ दायर उक्त अपील को खारिज किया गया था।

2. अपीलार्थी वादी है, प्रत्यर्थी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 है एवं प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 क्रमशः प्रतिवादी सं. 2 से 5 हैं। केवल प्रत्यर्थी सं. 1 वर्तमान कार्यवाही का विरोध कर रहा है। संदर्भ की सुगमता हेतु, पक्षकारों को उनके मूल रैंक एवं स्थिति के आधार पर संदर्भित किया जा रहा है जैसा कि विचारण न्यायालय के समक्ष था।

3. वादी का मामला संक्षेप में यह है कि उनके पिता, श्री जसवंत सिंह, 1 बीघा व 4 बिस्वा भूमि के अभिलिखित मालिक थे, जिसमें खसरा सं. 580, कड़कड़ूमा न्यायालय, दिल्ली ('वाद भूमि') शामिल थी, जो बाद में अधिनिर्णय सं. 54क दिनांक 07.01.1971 के तहत सरकार द्वारा अर्जित किया गया। यह कहा गया है कि यद्यपि अधिनिर्णय राशि का मूल्यांकन स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के नाम पर किया गया था, लेकिन एलएसी 317/1971 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ('निर्देश न्यायालय') द्वारा इसकी वृद्धि के बाद भी न तो उन्होंने (उनके जीवनकाल के दौरान) और न ही वादी जिसे विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभियोजित किया गया था, ने उक्त प्रतिकर स्वीकार किया। यह कहा गया है कि वाद की भूमि वादी तथा उसकी मां, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी के वास्तविक भौतिक कब्जे में रही।

3.1. यह कहा गया है कि अगस्त, 1975 में श्री जसवंत सिंह के निधन के समय, वादी 14 वर्ष का नाबालिग था तथा उसकी माँ, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी, अनपढ़ होने के कारण वाद की भूमि के प्रबंधन में असमर्थ थी। ऐसा कहा जाता है कि इन परिस्थितियों में, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी ने अपने चचेरा भाई अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 से, वाद भूमि के प्रबंधन व संचालन हेतु मदद मांगी।

3.2. यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वाद भूमि का प्रबंधन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसमें वादी ने प्रतिवादी सं. 1 की प्रत्यक्ष देखरेख में एक कमरे और दो शेडों का वित्तपोषण एवं निर्माण किया। यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने किरायेदारों अर्थात् प्रतिवादी सं. 2 से 5 को वाद की भूमि में शामिल किया और किराया वसूलना शुरू कर दिया, जिसका भुगतान वादी को किया गया। यह कहा गया है कि हालांकि, वादी को बाद में पता चला कि प्रतिवादी सं. 1 वादी को दिए जा रहे किराए की तुलना में अधिक किराया वसूल रहा है।

4. इन तथ्यों में, वादी ने निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए सिविल वाद दायर किया:

“क) घोषणा की एक डिक्री जिसमें यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी सं. 1 वादी की ओर से केवल वाद संपत्ति यानी खसरा नंबर 580, कड़कड़ूमा, दिल्ली में शामिल 1 बीघा 4 बिस्वा का प्रबंधन कर रहा था और वाद संपत्ति में उसका स्वयं कोई भी अधिकार, हक या हित नहीं था/हैं;

ख) प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ खातों के प्रतिपादन हेतु एक प्रारंभिक डिक्री जिससे प्रतिवादी सं. 1 को निर्देश दिया जाए कि वह समय-समय पर प्रतिवादी 2 से 5 सहित विभिन्न किरायेदारों को वाद परिसर के विभिन्न हिस्सों को किराए पर देकर उसके द्वारा किए गए सभी किराए/ प्राप्तियों का पूरा और विस्तृत विवरण दे, तथा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ शेष अवैतनिक राशि के लिए अंतिम डिक्री पारित करें।

ग) वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी व्यादेश की डिक्री, जिससे प्रतिवादी सं. 1 को खसरा नंबर 580, कड़कड़ूमा, दिल्ली में स्थित संपत्ति के विभिन्न हिस्सों का किराया वसूलने से रोका जा सके, जिसे उसने यहां प्रतिवादीगण 2 से 5 को दे दिया है और आगे यहां प्रतिवादी 2 से 5 को देगा और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी 2 से 5 को भविष्य में प्रतिवादी सं. 1 को अपने संबंधित हिस्से का किराया देने से रोका जा सकता है और उन्हें सीधे वादी को भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है;

घ) अनिवार्य व्यादेश की डिक्री जिससे प्रतिवादी 2 से 5 को आदेश दिया जा सकता है कि वे वाद परिसर अर्थात् 580, कड़कड़ूमा, दिल्ली में अपने संबंधित हिस्से का किराया सीधे वादी को देना शुरू करें।

ड) वाद के जुर्माने भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ दिया जायेगा।

च) ऐसी अन्य या अतिरिक्त राहत, जो माननीय न्यायालय उचित और सही समझे, प्रदान की जाए।"

(जोर दिया गया)

5. प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र में तथ्यात्मक दावों से इनकार किया। यह कहा गया था कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह का वाद भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं था जैसा कि निर्देश न्यायालय ने दिनांक 20.07.1976 के निर्णय में दिया था। यह कहा गया था कि निर्देश न्यायालय ने दर्ज किया था कि भूमि का कब्जा पट्टेदार, श्री मनमोहन लाल के पास था और तदनुसार, प्रतिकर क्रमशः 40:60 के अनुपात में स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह एवं श्री मनमोहन लाल को दिया गया

था। ऐसा कहा गया है कि निर्देश न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के तहत मुआवजा बढ़ाया गया था और स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी और उनकी दो बेटियों ने वर्ष 1976 में निर्देश न्यायालय से बढ़ा हुआ मुआवजा वापस ले लिया था। यह कहा गया है कि दिनांक 20.07.1976 का निर्णय अंतिमता प्राप्त कर चुका है और इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी सं. 1 को वाद भूमि के प्रबंधन हेतु पैरोकार के रूप में नियुक्त करने की कोई वजह नहीं थी। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने स्वतंत्र अधिकार में भूमि पर कब्जा कर लिया है और अपने पिता श्री जस्सी के माध्यम से अपने कब्जे का दावा करता है, जिसके बारे में यह आरोप लगाया गया है कि वह स्वयं एक गैर-कब्जाधारी किरायेदार थे।

6. विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2011 के निर्णय के तहत वादी के वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि वाद भूमि सरकार द्वारा दिनांक 07.01.1971 के अधिनिर्णय सं. 54क के तहत अर्जित की गई है, इसलिए वादी के पास वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है; और (ii) यह कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 को उसकी मां स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी ने उसके पिता श्री जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वाद संपत्ति के प्रबंधन हेतु पैरोकार के रूप में नियुक्त किया था।

7. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 23.03.2017 के आक्षेपित निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि यह दिखाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है

कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादी और उसकी मां के पैरोकार के रूप में काम किया और इसलिए, वाद में मांगे गए अनुतोष संधार्य नहीं हैं।

8. इस न्यायालय ने दिनांक 15.02.2022 को इस अपील में विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं:

i) क्या निजी पक्षों के बीच वाद में, राहत को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि भूमि अर्जित भूमि थी?

ii) क्या वादी ने अभिलेख पर स्थापित किया था कि प्रतिवादी सं. 1 एक पैरोकार था और यदि ऐसा है, तो क्या वादी संभावनाओं की प्रबलता पर राहत का हकदार है?

अपीलकर्ता अर्थात् वादी की दलीलें

9. अपीलकर्ता अर्थात् वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्री जसवंत सिंह (वादी के पिता) विवादित भूमि के अभिलिखित मालिक थे। उनका कहना है कि हालांकि विवादित भूमि सरकार द्वारा अर्जित की गई है, लेकिन यह अभिलेख का विषय है कि विवादित भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अर्जित की जा रही विवादित भूमि का तथ्य वाद में मांगी गई राहत हेतु प्रासंगिक नहीं है। उनका कहना है कि मांगी गई राहत वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच उनके आपसी संबंधों से उत्पन्न निजी विवाद के संबंध में है। उनका कहना है कि वादी वाद भूमि पर अपने स्वामित्व की घोषणा की मांग नहीं कर रहा है जैसा कि वाद की प्रार्थना (क) से स्पष्ट है। उनका कहना है कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं उसमें मांगी गई घोषणात्मक राहत को गलत समझा

है, इसलिए मुद्दे सं. 1, 4 व 6 पर दिए गए निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह वादी का रुख है कि प्रतिवादी सं. 1 को स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी द्वारा विवादित भूमि के प्रबंधन हेतु नियुक्त किया गया था और विवादित भूमि पर कब्जा रखने वाले किरायेदारों को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी के निर्देश पर रखा गया था। उनका कहना है कि वाद भूमि का भौतिक कब्जा सरकार द्वारा नहीं लिया गया और वादी के परिवार के पास ही रहा। उनका कहना है कि इसलिए, पक्षकारों के बीच खातों के प्रतिपादन की मांग करने वाला वर्तमान वाद संधार्य था और सरकार द्वारा भूमि के अर्जन का तथ्य वाद की संधार्यता को प्रभावित नहीं करेगा। उनका कहना है कि इसलिए, विधि सं. 1 के प्रश्न का उत्तर वादी के पक्ष में दिया जाना है।

9.1. उनका कहना है कि विधि सं. 2 के प्रश्न के संबंध में, विवादक सं. 5 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 ने तर्क दिया है कि वह वाद भूमि पर उनके पिता अर्थात् श्री जस्सी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में कब्जा है। हालांकि, उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 श्री जस्सी के कब्जे को साबित करने में विफल रहा है। उनका कहना है कि श्री जस्सी या प्रतिवादी सं. 1 के नाम का राजस्व अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि दूसरी ओर, वादी के पिता अर्थात् श्री जसवंत सिंह और उसके बाद वादी की माँ अर्थात् स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी के स्वामित्व को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया

गया है। वह कहते हैं, इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी सं. 1 ने स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार के अनुसरण में वाद भूमि में किरायेदारों को शामिल किया। उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 विवादित भूमि पर कब्जा करने का कोई स्वतंत्र अधिकार स्थापित करने में असमर्थ रहा है। उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 और दिवंगत श्रीमती मोहरो देवी के बीच घनिष्ठ पारिवारिक संबंध अभिलेख में स्वीकार किए गए हैं। इसलिए उनका कहना है, संभावनाओं की प्रधानता पर वादी द्वारा प्रार्थना (क) में दावा की गई घोषणात्मक राहत वादी के पक्ष में दी जानी चाहिए थी जिसके अनुवर्ती लेखा प्रस्तुत करने और व्यादेश की परिणामी राहत दी जानी चाहिए थी।

प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात् प्रतिवादी सं. 1 की दलीलें

10. जवाब में, प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि विधि के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में निर्देश न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अभिलेख के अवलोकन से पता चलेगा कि वाद भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और निर्देश न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा निकाल ली गई है। उनका कहना है कि श्री जसवन्त सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी, उनकी बेटियाँ और उनका बेटा (अर्थात्, यहाँ वादी) हैं। उनका कहना है कि स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी और उनकी बेटियों ने अपने हिस्से का मुआवजा ले लिया है।

उनका कहना है कि इसलिए, अधिग्रहण की कार्यवाही अंतिम हो गई है और वाद भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है। उनका कहना है कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह का विवादित भूमि पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं था और इस निष्कर्ष पर, निर्देश न्यायालय ने श्री जसवंत सिंह को उनके मालिकाना हक के लिए मुआवजे का 40% हिस्सा दिया था। उनका कहना है कि निर्देश न्यायालय ने निर्धारित किया कि उक्त भूमि का भौतिक कब्जा पट्टेदार श्री मनमोहन लाल में निहित है। उनका कहना है कि इसलिए, वादी के पास वाद भूमि के संबंध में वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और इस मामले के तथ्यों में विधि सं. 1 के प्रश्न का उत्तर वादी के विरुद्ध दिया जाना है।

12.1. उनका कहना है कि विधि सं. 2 के प्रश्न के संबंध में, भूमि अर्जन कलेक्टर के अभिलेख के अनुसार, वाद भूमि का भौतिक कब्जा श्री जसवंत सिंह के पास नहीं था और इसलिए, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी के पास इसे अपने पास रखने या प्रतिवादी सं. 1 को अपने पैरोकार के रूप में इसका प्रबंधन सौंपने का कोई प्रयोजन नहीं था। दूसरा, वह कहते हैं, कथित प्रबंधन अधिकारों के निर्माण हेतु स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी और प्रतिवादी सं. 1 या वादी के बीच लिखित रूप में कोई दस्तावेज अभिलेख में नहीं है। उनका कहना है कि वादी, जिसने स्वयं को अभि.सा.-7 के रूप में परीक्षित किया था, के परिसाक्ष्य पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त स्वयंसेवी बयान को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। उनका कहना है कि इस पहलू पर अधीनस्थ

न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष, तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, दूसरी अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। वह **कोंडीबा दगडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर व अन्य** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताते हैं।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

11. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

12. इस न्यायालय की पूर्ववर्ती न्यायपीठ ने दिनांक 15.02.2022 के आदेश के तहत विधि के दो (2) प्रश्न तैयार किए। इस मामले के तथ्यों में, चूंकि वादी का पूरा वाद इस दलील के साक्ष्य पर निर्भर करता है कि प्रतिवादी सं. 1 स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी का पैरोकार था, यह न्यायालय पहले विधि के दूसरे प्रश्न से निपटना उचित समझती है, जो इस निम्नानुसार है:

क्या वादी ने अभिलेख पर स्थापित किया था कि प्रतिवादी सं. 1 एक पैरोकार था और यदि हां, तो क्या वादी संभावनाओं की प्रबलता पर राहत का हकदार है?

13. विचारण न्यायालय ने विवादक सं. 5 के तहत अपने विचार-विमर्श में विधि के इस प्रश्न पर विचार किया। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए हैं कि प्रतिवादी सं. 1 को उसकी मां (स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी) द्वारा पैरोकार के रूप में नियुक्त किया गया था; और उक्त दावे के समर्थन में वादी के स्वयं

अभि.सा.-7 के रूप में केवल मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। विचारण न्यायालय ने वादी (अभि.सा.-7) एवं प्रतिवादी सं. 1 (प्रति.सा.-1) के मौखिक परिसाक्ष्य पर ध्यान देने के बाद निष्कर्ष निकाला कि वादी साक्ष्य के भार का निर्वहन करने में विफल रहा है।

14. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विवादक सं. 5 पर उपरोक्त निष्कर्ष पर विचारण न्यायालय से सहमति व्यक्त की और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

“(12) न्यायालय की यह भी राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित ही कहा है कि अपीलार्थी/वादी अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है। अपीलार्थी/वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में अपनी मां द्वारा निष्पादित किसी भी मुख्तारनामा को अभिलेख पर नहीं रखा है और न ही वादी द्वारा यह साबित करने हेतु किसी गवाह की जांच की गई है कि वादी की मां ने प्रतिवादी सं. 1 को पैरोकार के रूप में नियुक्त किया था। वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कहानी भी अविश्वसनीय है क्योंकि विवादित भूमि सरकार द्वारा वर्ष 1975 में ही अर्जित कर ली गई थी और ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जिसकी देखभाल वादी की माँ को करनी पड़े। यह भी उचित रूप से देखा गया है कि अपीलार्थी/वादी ने केवल इस तथ्य को साबित करने के लिए खुद की जांच की है कि प्रतिवादी सं. 1 को उसकी मां द्वारा पैरोकार के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके द्वारा किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की गई है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अपीलार्थी/वादी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यु वर्ष 1975 में हो गई थी और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी मां ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में उसकी नियुक्ति हेतु पैरोकार के रूप में पावर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकार पत्र या कोई अन्य दस्तावेज तैयार किया था या नहीं। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी मां की मृत्यु वर्ष 1996 में हो गई थी और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी मां ने वाद संपत्ति के मामलों के प्रबंधन हेतु प्रतिवादी सं. 1 को कोई नोटिस दिया था या नहीं लेकिन उसने इस सुझाव का खंडन किया कि प्रतिवादी सं. 1 को उसकी मां ने कभी

भी पैरोकार के रूप में नियुक्त नहीं किया था। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया कि वह खसरा सं. 580 (1983 से संपत्ति सं. 214) में एक पैरोकार था, जिसमें प्रदीप सूद वादी का किरायेदार था। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया कि प्रदीप सूद वादी और श्रीमती मोहरो देवी का किरायेदार था। इस प्रकार, विद्वान विचरण न्यायालय ने सटीक रूप से पाया है कि इस साक्ष्य के अतिरिक्त, यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने केवल अपीलार्थी/वादी तथा उसकी मां के पैरोकार के रूप में कार्य किया।

(जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय के समक्ष, वादी ने तर्क दिया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहे कि वादी के पिता, श्री जसवंत सिंह, कथित रूप से वाद भूमि के पंजीकृत मालिक थे और उन्होंने 1949-50 की जमाबंदी पर भरोसा किया था (प्र.अभि.सा.-2/1). उन्होंने खसरा सं. 580 में 100 वर्ग गज की बिक्री हेतु स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी और एक श्रीमती संतोष गोयल के बीच दिनांक 11.10.1984 के लेनदेन से संबंधित अपंजीकृत दस्तावेजों (अर्थात्, जीपीए, एटीएस, वसीयत, रसीद) पर भी भरोसा जताया, जो कि प्रतिवादी सं. 1 (प्र.अभि.सा.-5/1 से प्र.अभि.सा.-5/3 व प्र.अभि.सा.-2/1) द्वारा भी हस्ताक्षरित थे। उनका कहना है कि उक्त दस्तावेजों में खसरा सं. 580 पर स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी का कब्जा पंजीकृत है, जिसे प्रतिवादी सं. 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था। उनका कहना है कि प्रतिवादी सं. 1 वाद भूमि पर कब्जा करने का कोई भी स्वतंत्र अधिकार साबित करने में विफल रहा है। उनका कहना है कि चूंकि प्रतिवादी सं. 1 वादी की मां से संबंधित था; संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह धारणा है कि

प्रतिवादी सं. 1 को वादी की माँ ने अपने पैरोकार के रूप में भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी थी।

16. दूसरी ओर, प्रतिवादी सं. 1 ने तर्क दिया है कि वादी के संपूर्ण परिसर कि उसके पिता स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह और उसके बाद, उसकी माँ, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी, का खसरा सं. 580 पर भौतिक कब्जा भूमि अर्जित कार्यवाही के न्यायिक अभिलेख के विपरीत है। उनका कहना है कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह बिना कब्जे के खसरा सं. 580 के पंजीकृत मालिक थे और निर्देश न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.07.1976 के निर्णय पर भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि चूँकि स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी का वाद भूमि पर कभी भी भौतिक कब्जा नहीं था, उनके पास पैरोकार के रूप में प्रतिवादी सं. 1 को प्रबंधन या कब्जा सौंपने का कोई प्रयोजन नहीं था। उनका कहना है कि वह काश्तकार पट्टेदार, श्री डोली के अधीन एक गैर-कब्जे वाले किरायेदार स्वर्गीय श्री जस्सी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में विवादित भूमि पर उसका स्वतंत्र रूप से कब्जा है।

17. इस न्यायालय ने निर्देश न्यायालय के दिनांक 20.07.1976 के निर्णय का अवलोकन किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के पास खसरा सं. 580 का भौतिक कब्जा नहीं था। वास्तव में, पट्टेदार श्री मनमोहन लाल द्वारा भौतिक कब्जे का दावा किया गया था, जिसके दावे को निर्देश न्यायालय ने बरकरार रखा था। तदनुसार, निर्देश न्यायालय ने मालिक

और पट्टेदार को 40:60 के अनुपात में मुआवजा दिया। परिणामस्वरूप, स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर की 40% राशि का हकदार माना गया। निर्देश न्यायालय का उक्त निर्णय अंतिम हो गया है और वास्तव में, स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों, अर्थात् उनकी बेटियों और उनकी विधवा, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी ने निर्णय को स्वीकार कर लिया एवं दिनांक 24.01.1977 को (अपने हिस्से का) मुआवजा ले लिया गया।

18. इसलिए, निर्देश न्यायालय के दिनांक 20.07.1976 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वादी का यह दावा कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह एवं 1975 में उनकी मृत्यु के बाद, स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी का खसरा सं. 580 पर भौतिक कब्जा था, अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है।

19. इस मामले के तथ्यों में कोई विवाद नहीं है कि खसरा सं. 580 की अर्जन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी ने राज्य द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि वापस निकाल ली है। माना जाता है कि वाद की भूमि खसरा सं. 580 में आती है। **इंदौर विकास प्राधिकरण (लैप्स-5जे.) बनाम मनोहरलाल** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दोहराया कि अर्जित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अर्जित भूमि राज्य में कब्जे के साथ सभी विबंधकों से मुक्त हो जाती है और किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि पर कब्जा बरकरार रखना या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी पुनः

प्रवेश राज्य की भूमि पर अतिक्रमण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विधि में इस स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय ने *दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम अनीता सिंह व अन्य* के मामले में दोहराया है। इसलिए, वर्धित प्रतिकर के आहरण के बाद वाद की भूमि पर स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी द्वारा मालिकाना अधिकारों का कोई भी प्रयोग स्पष्ट रूप से अवैध एवं अतिचार का कार्य था। वादी द्वारा दिनांक 11.10.1984 के दस्तावेजों पर भरोसा जताया गया, अर्थात्, प्र.अभि.सा.-5/1 से प्र.अभि.सा. तथा प्र.अभि.सा.-2/1, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी द्वारा खसरा सं. 580 में 100 वर्ग गज बेचने का दावा अवैध है क्योंकि दिनांक 11.10.1984 को उसके पास कोई अधिकार, स्वामित्व या हित शेष नहीं बचा था। इस कारण से, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादक सं. 5 पर निष्कर्ष को अधिमत देते समय उक्त दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।

20. वादी की वर्ष 1949-50 की जमाबंदी (अर्थात्, उदाहरण प्र.अभि.सा.-2/1) पर निर्भरता, वाद भूमि पर स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह या स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी के कब्जे को साबित नहीं करती है। उक्त दस्तावेज में श्री डोली के माध्यम से पट्टेदार श्री मनमोहन लाल एवं काशत पट्टेदार के भौतिक कब्जे को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया है कि उसे अपनी मां स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किसी मुख्तारनामा के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए, वादी द्वारा

दिए गए साक्ष्यों के आधार पर, वह अभिलेख पर यह स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 स्वर्गीय श्रीमती मोहरो देवी का पैरोकार था।

21. सम्पूर्ण वाद एवं वादी के तर्क इन दलीलों पर आधारित हैं कि स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में, प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ विवादित भूमि पर उनका बेहतर अधिकार है। यह न्यायालय वादी की इस दलील में कोई गुणागुण नहीं पाता है। **इंदौर विकास प्राधिकरण** (पूर्वोक्त) और **डीडीए बनाम अनीता सिंह** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वर्गीय श्री जसवन्त सिंह और उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पास वाद भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं रह गया है; और किसी भी स्तर पर उनके भौतिक कब्जे का अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है।

22. अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मुद्दा सं. 5 को साबित करने का भार वादी पर था और वादी उसका निर्वहन करने में विफल रहा है। इस न्यायालय को वादी की इस दलील में कोई बल नजर नहीं आता क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 को यह साबित करना था कि वह श्री जस्सी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने स्वतंत्र अधिकार में वाद भूमि पर उनका कब्जा था (संदर्भ: **अनिल ऋषि बनाम गुरबखश सिंह**)।

23. इसलिए, संभावनाओं की प्रबलता पर भी, इस मामले के तथ्यों में वादी वाद में मांगी गई राहत का हकदार नहीं है।

24. इसलिए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि विधि सं. 2 के प्रश्न का उत्तर वादी के खिलाफ दिया जाना है क्योंकि वह वाद में किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

25. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अब विधि सं. 1 के प्रश्न से निपटने हेतु अग्रसर हो रहा है, जो निम्नानुसार है:

क्या निजी पक्षकारगण के बीच वाद में, राहत को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है कि भूमि अर्जित भूमि थी?

26. विचारण न्यायालय ने निर्देश न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.07.1976 के निर्णय पर विचार करने के बाद विवादक सं. 1, 4 व 6 पर अपने विचार-विमर्श में निष्कर्ष निकाला कि (i) इसमें वादी (अर्थात्, स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारियों में से एक) के पास वाद भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं बचा था; और (ii) भूमि सरकार में निहित हो गई। और, इसलिए, वादी के पास वर्तमान वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

27. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस मामले के तथ्यों में, वादी द्वारा मांगी गई घोषणा कि वह वाद भूमि का मालिक है और उसके पास प्रतीकात्मक कब्जा है, संधार्य नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

“(8) मैंने परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों पर मौखिक एवं लिखित दोनों तरह से विचार किया है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

(9) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है वादी/अपीलार्थी की ओर से अपने वादपत्र में स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि खसरा सं. 580 की 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि सरकार द्वारा अर्जित कर ली गई है। अतः, अपीलार्थी का वाद संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है।

(10) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि वादी/अपीलार्थी ने घोषणा के लिए राहत मांगी है कि उसे 1 बीघा 4 बिस्वा की वाद संपत्ति के वास्तविक एवं सांकेतिक कब्जे में मालिक घोषित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर घोषणा हेतु राहत वर्जित है क्योंकि वादी ने स्वीकार किया है कि सरकार ने वर्ष 1969-70 के अधिनिर्णय सं. 54क के तहत उक्त भूमि को अर्जित किया था और वादी के पिता ने प्रतिकर बढ़ाने हेतु अपील दायर की थी। भले ही, संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा सरकार द्वारा नहीं लिया गया हो, लेकिन अर्जन की कार्यवाही अंतिम रूप लेने के साथ वादी के पास उपरोक्त भूमि में कोई आशा, स्वामित्व या हित नहीं बचा था। इसलिए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप टिप्पणी की है माना जाता है कि अर्जन की कार्यवाही को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और परिसीमन अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 58 में घोषणा प्राप्त करने के लिए 3 साल का प्रावधान है और परिसीमन की अवधि उस समय से शुरू होती है जब वाद करने का अधिकार पहली बार अर्जित होता है और वर्तमान मामले में वादी ने वादपत्र के पैरा 3 में कहा है कि अगस्त 1975 में अपने पिता की मृत्यु के समय वह नाबालिग था और उस समय उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में, परिसीमन अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि जहां वाद दायर करने का हकदार व्यक्ति नाबालिग है, तो वह नाबालिग न रहने के बाद उसी अवधि के भीतर अपना वाद दायर कर सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि वादी के पास वयस्क होने के बाद तीन साल की अवधि के भीतर वाद संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा हेतु वाद दायर करने का विकल्प था, वादी/अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई वाद दायर नहीं किया गया था।”

28. इस न्यायालय के समक्ष, वादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.10.2011 के अपने निर्णय में त्रुटिपूर्ण रूप से पाया कि वाद में, वादी इस आशय की घोषणा का दावा कर रहा था कि उसे वाद भूमि का मालिक घोषित किया जाए। वादी ने तर्क दिया कि ऐसी कोई घोषणात्मक राहत नहीं मांगी गई है और विचारण न्यायालय ने वादपत्र को गलत समझा है। दिनांक 08.08.2023 को लिखित प्रस्तुतियाँ में भी इसका तर्क दिया गया था।

29. हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष वादी की उपरोक्त दलीलें गलत हैं और उसके द्वारा की गई दलीलों और साक्ष्यों के विपरीत हैं, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह विचारण न्यायालय से स्वामित्व की घोषणा चाहता है। वादी के साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 18.11.2005 (प्र.अभि.सा.-7/क) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है: -

“10. यह कि प्रतिवादी सं. 1 श्री मूलचंद ऊपर वर्णित संपत्ति में मेरे अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर मेरे अधिकार को अस्वीकार करने में भी रुचि रखता है, जिसका मैं विधिक रूप से हकदार हूँ और उक्त भूमि में अधिकारों को फिर से स्थापित करने के लिए, मैंने उक्त भूमि में अपने अधिकार और हक को सिद्ध करने के लिए वर्तमान वाद दायर किया है, चूंकि मैंने इस आशय की घोषणा के लिए वर्तमान वाद दायर किया था कि मैं खसरा सं. 580, ग्राम कड़कड़ूमा, दिल्ली की 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि की संपत्ति का मालिक/मकान मालिक हूँ। घोषणा हेतु यह वाद इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 श्री मूल चंद के कार्यों के कारण मेरे स्वामित्व पर काले बादल छा गए हैं।

(जोर दिया गया)

30. वादी के स्वामित्व की घोषणा की मांग करने का इरादा दिनांक 08.03.2001 के संशोधित वाद में मांगी गई राहत से भी स्पष्ट है, जिसमें वादी ने घोषणा, खातों के प्रतिपादन, स्थायी व्यादेश एवं अनिवार्य व्यादेश की राहत की मांग की थी। वाद भूमि के कब्जेदारों के खिलाफ उक्त राहत देने के लिए आवश्यक रूप से विचारण न्यायालय को पहले उक्त कब्जेदारों से किराया वसूलने हेतु वादी के अधिकारों/हक को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।

31. इस मामले के तथ्यों में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 ('1872 का अधिनियम') की धारा 116 के तहत परिकल्पित विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि वादी अभिलेख से कोई साक्ष्य स्थापित करने में विफल रहा है, जो वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच अनुज्ञापक या अनुज्ञप्ति धारक के संबंध के अस्तित्व को दर्शाता है। वादी का यह आरोप साबित नहीं हुआ कि दिवंगत श्रीमती मोहरो देवी के आदेश पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से 5 को वाद भूमि में कब्जा धारी के रूप में शामिल किया गया था। वादी का यह आरोप भी साबित नहीं हुआ कि प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 से 5 तक किराया एकत्र किया तथा उसे श्रीमती मोहरो देवी या वादी को भेज दिया। दरअसल, तथ्य के इस विवादक पर साक्ष्यों का पूर्ण अभाव था।

32. इसलिए, इस मामले के तथ्यों में चूंकि राहत के समर्थन में साक्ष्य वाद भूमि के स्वामित्व के आधार पर वादी द्वारा दिए गए थे, विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि चूंकि

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई और समाप्त की गई भूमि अर्जन कार्यवाही के अनुसरण में वाद भूमि में वादी के पूर्ववर्ती का स्वामित्व समाप्त हो गया था, इसलिए वादी इस वाद को संधार्य बनाए नहीं रख सकता है।

33. इस मामले के तथ्यों में, चूंकि वादी के पास स्वयं वाद भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं है और वह यह साबित करने में असमर्थ है कि प्रतिवादी सं. 1 को श्रीमती मोहरो देवी द्वारा अनुज्ञप्ति धारक के रूप में वाद भूमि में प्रवेश करने एवं प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी, वादी द्वारा अर्जित भूमि के संबंध में प्रतिपादन देने की मांग करते हुए (अपने पूर्वजों के समाप्त हो चुके स्वामित्व के आधार पर) दायर किया गया वर्तमान वाद संधार्य नहीं है। तदनुसार, विधि सं. 1 के प्रश्न का उत्तर वादी के विरुद्ध दिया जाता है।

34. अचल संपत्ति से संबंधित राहत के लिए वाद चलाने हेतु, वादी को आम तौर पर अचल संपत्ति में अपना स्वतंत्र मौजूदा अधिकार दिखाना होगा।

इस नियम का एक अपवाद है, जिसमें, भूमि पर स्थापित कब्जा रखने वाले व्यक्ति का, वास्तविक मालिक के अतिरिक्त, सम्पूर्ण विश्व के विरुद्ध उचित मालिकाना हक रखने वाला माना जाता है। नतीजतन, एक अतिचारी, जिसका अचल संपत्ति पर निश्चित कब्जा है, उसके कब्जे में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले पक्षकारों के खिलाफ व्यादेश हेतु वाद दायर कर सकता है। यह अपवाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को विधि की उचित

प्रक्रिया के अनुसार बेकब्जा नहीं किया जाना चाहिए। उक्त अपवाद इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि वादी के पास वाद भूमि का स्थापित कब्जा नहीं है। (संदर्भ: *ए. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम आर. पनीरसेल्वम*)

अन्य अपवाद, जो एक वादी को, जिसके पास अचल संपत्ति हेतु वाद चलाने का अधिकार नहीं है, सक्षम बनाता है, 1872 के अधिनियम की धारा 116 के तहत मान्यता प्राप्त है, जो किरायेदार और/या अनुज्ञप्ति धारक को मकान मालिक और/या अनुज्ञापक धारक के अधिकार से मुकरने से रोकता है। यह अपवाद विबंधन के सिद्धांत पर आधारित है तथा 1872 के अधिनियम में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत को आकर्षित करने हेतु, वादी को प्रतिवादी सं. 1 के साथ मकान मालिक और किरायेदार या अनुज्ञापक और अनुज्ञप्ति धारक के संबंध के अस्तित्व को साबित करना होगा। इस मामले के तथ्यों में, वादी वर्तमान वाद के पक्षकारगण के बीच अनुज्ञापक और अनुज्ञप्ति धारक के संबंध के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थ रहा है; और इसलिए, यह अपवाद भी लागू नहीं है। इसलिए, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादी विवादक सं. 5 को साबित करने में विफल रहा और वाद की भूमि में उसका कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था, उसने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि वाद संधार्य नहीं था।

35. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

36. यह स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय में किसी भी बात को प्रत्यर्थी सं. 1 की वाद भूमि पर दुकानों को व्यावसायिक रूप से किराए पर देने या वाद भूमि, जो सरकार द्वारा अर्जित संपत्ति है, में लेनदेन करने और उससे मौद्रिक लाभ अर्जित करने के अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा। भूमि अर्जन कार्यवाही में निर्देश न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा स्वीकार किया गया है; उक्त प्रत्यर्थी भी एक अतिचारी है और उसके पास उक्त भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है।

प्रत्यर्थी सं. 1 वाद भूमि से निपटने के अपने अधिकार की मान्यता के रूप में इस निर्णय पर भरोसा करने का हकदार नहीं होगा। वाद को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया है कि वादी के पास वाद की भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं है और इसलिए, वह उक्त वाद को बरकरार नहीं रख सकता है।

दिल्ली नगर निगम या सक्षम प्राधिकारी विधि के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

16 जनवरी, 2024/आरएचसी/एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।